

नाम मोकिरः- पवन पुभात लकड़ा उर्फ बन्धु उरांव पिता स्वं
सीताराम उरांव जात उरांव पेशा छेती निवासी
ग्राम गुमला सरनाटोली धाना को जिला गुमला
शपथ-पत्र सं- 599105

S. Kisho

1000 Rs.



2.

नाम मोकिरः - स्कोला स्टिका किंडो पिता स्व० मोरिस किंडो
अलेह

जात खड़िया पेशा गृहस्ती

साकिन रामजा नाबाटोली थाना रायडीह

जिला गुमला, हाल मोकाम गुमला सरनाटोली

थाना व जिला गुमला भारतीय नागरिक हैं।

रुपय पत्र सं - 600/05

किसिम वसिका:- केवाला बिक्री ब्यला कलामी हमेशो के बास्ते
जिसकी स्लाने मालगुजारी ०१० पैसे अलावे शेष।

तायदाद रुपया:- जमीन का बास्तविक मूल्य मो० १,०००/-

रकानबे हजार रुपया जिसका आधा मो०


४५,५००/- पैंतालीस हजार पाँच सौ रुपया होता

है वो निर्धारित बाजार मूल्य मो० १,०५,०००/-

एक लाख पाँच हजार रुपया है।

S. Kino

1000Rs.



३०

जायदादः— मवाजी ००७ सकड़ जमीन टांडि हकियत कायमी ऐयती
वो खरीदगी वो अपना हक वो दखल अन्दर खाता नं०
३६ वाके मौजा गुमला सरनाटौली वार्ड नं०-१ थाना
गुमला थाना नं० ५९ जिला गुमला जिसके मुतअलके कलकट्टी
वो डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार वो सब रजिस्ट्रार मोकाम
गुमला अन्दर जमीनदारी शारण्ड सरकार द्वारा अंचल
पदाधिकारी गुमला अंचल जमीन आवासीय योग्य खाली
है।

तफसील जमीन

S. Kino

1000 Rs.



4.

तफसील जमीन स्थ बिक्री

खाता नं० प्लॉटनं० नाम जमीन रकबा

36 1435 टांडि 0.50 एकड़ में से

छत्तीसदू चौदह सौ पैंतीस छु जानिब दक्षिण तरफ 0.07 एकड़

चौहाड़ी- उत्तर टांडि लोरेन्स टेटे दक्षिण टांडि नीज पुरब रास्ता

12 कड़ी पश्चिम टांडि दिस्सा काशमीर कुमार

जमा रकबा सात इकाई समिल ।

आगे मनमोकिर मो० ११,०००/- रकानबे हजार रुपया नगद वास्ते

मकान बनवाने एवं अन्य खर्च के लिए मोकिर अलेह से पहले ही ले चुके

हैं वो अमर लिखा जमीन का बिक्री रजिस्ट्री हेतु मनमोकिर अनुमति

प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र न्यायालय भूमि सुधार उप-

समाहत्ता गुमला के यहाँ दाखिल किया जिसका नम्बर अनुमति वाद


सं० 306/05-06 मनमोकिर बनाम मोकिर अलेह पड़ा वो माननीय

भूमि सुधार उप समाहत्ता गुमला ने उचित जांच पढ़ताल कर दिनांक

25.8.05 ई० को अमर लिखा जमीन को मोकिर अलेह के नाम से

51 K/20.

50 RS.




5.

नाम से राजस्ट्री बिक्री करने का आदेश दिये वो मनमोकिर उसी
स्कानबे हजार रुपया जो पहले मेकिर अलेह से ले चुके हैं को जरसमन
करार देकर वाजिब वो अदल जरसमन के बदला में अरे तिखा जमीन
को आज के रोज साथ मोकिर अलेह के बेचा वो बिक्री ब्यला कलामी
किया चाहिए कि मोकिर अलेह मय उनके वारीसान स्य बिक्री जमीन
पर बैहस्थित खरीदार के दखलकार होकर वो रहकर मुनासिब इंतजाम
करें वो करावे वो अपने नाम से दाखिल खारीज करा लेगे मनमोकिर
यह भी धौषित करता है कि उपरोक्त विवरणी की भूमि
उत्तियान के अनुसार सरकारी नहीं है और न सरकार के द्वारा
अधिग्रहण ही किया गया है यह भूमि खेनन स्वं कन सीमा से बाहर
है यह भूमि मठ मन्दिर मस्जिद गिरजा सरना तथा गुरुद्वारा का
नहीं है यह भूमि को पूर्व में बिक्री नहीं किया गया है। अब मनमोकिर
वो उनके वारीसानों का कोई वास्ता सरकार हक वो दाबी स्य
बिक्री जमीन पर बाकी न रहा वो न आइन्दे कभी होगा इसलिए
बुखारी वो आहिरा अपने दस्तावेज बिक्री ब्यला कलामी लिख दिया
कि समय पर काम आवे मोकाम गुमला आज तारीख 16. 9. 05 ई०।

S. Kiro.

50 Rs.



69


मैं लेखकारी शारण्ड भूहड़बंदी अधिनियम 1961 की धारा 16 $\frac{1}{2}$ के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बिक्री की जानेवाली जमीन भूहड़बंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

ପ୍ରକାଶ-ଟାଇପ୍ ଲେଖଣୀ → ପ୍ରକାଶ (ଅନୁଷ୍ଠାନିକ)
ମୁଦ୍ରାକାର 23.9.୦୯



S. Kibro

50 RS.



7.


मैं लेख्यधारी भारतीय भूदबंदी अधिनियम 1961 की धारा
16(२४) के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा खरीदी
जानेवाली जमीन भूदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।
स्कॉलरिट का किण्डी 23-09-2005



23.9.05
संग्रहीत ज्ञाता
भूदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

उम्मीद रखा कि इसका दलावें नहीं होंगा।
परन्तु छात्र का इसका व्युत्पादन वा उत्पादन
संकेत विभाग के अंदर आ कर दिया गया।
वराहा के सब के विभाग वा उत्पादन के अंदर दिया गया।
स्कॉलरिट 23/9/05

S-14/20



8.

प्रमाणित किया जाता है कि यह दस्तावेज 8 पन्नों में टाई
किया गया है जिसमें रुण्डन नहीं है वो मूल दस्तावेज से द्वितीयक
प्रति एक दूसरे से इबड़ और सच्ची प्रतिलिप्ति है वो इस दस्तावेज
के साथ द्वेषा नक्शा का मूल प्रति संलग्न है।

टंक बासुदेव उरांव कोट परिसर गुमला ड्राफ्टकर्ता
श्री *देवमन्त्री*
कोट गुमला के ड्राफ्ट से टाईम किया ।

प्रियंका देवी
16-३-०५
टंक
साफ्टकर्ता का डॉ

S. Kiko